कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/3145/कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 11/04/2020
प्रति,

कारखाना प्रबंधक,
जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड,
पतरापाली, खरसिया रोड,
रायगढ़

विषय :– फैक्ट्री संचालन की अनुमति बाबत्।
संदर्भ :– कारखाना प्रबंधक, जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़ का पत्र दिनांक 04.04.2020

विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर द्वारा जारी दिशा निर्देश कमांक 161/स.सा.प्र.वि./2020, दिनांक 29.03.2020 तथा इसके साथ संलग्न भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुपालन में आपके द्वारा एस.एस.डी. डिविजन, ओ. पी. जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा की फैक्टरी संचालन की अनुमति बाबत् प्रस्तुत आवेदन पत्र पर मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित शर्तों के अधीन फैक्टरी संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. कारखाने में नियोजित मजदूरों में से केवल एक तिहाई श्रमिकों से ही कार्य लिया जावेगा।
2. कारखाने में कार्यरत मजदूरों के बीच निर्धारित सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे ।
3. कारखाने के मुख्य द्वार पर टेम्परेचर गन द्वारा टेम्परेचर रीडिंग लेना अनिवार्य होगा ।
4. कारखाने में सभी श्रमिको को मास्क लगाकर व हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग कराकर कारखाने में प्रवेश दी जावे ।
5. कारखाने में कार्यस्थल पर श्रमिकों को हेण्डवॉश, साबुन उपलब्ध कराया जावे ।
6. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने तथा कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के मध्य कोरोना वायरस का संकमण पाये जाने की स्थिति में उक्त संचालन अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)
11/04

पृ0क्रमांक/3145ए/कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 11/04/2020
प्रतिलिपि :–

1. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. पुलिस अधीक्षक,रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6. सहायक संचालक जन संपर्क जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)
11/04

Covid-19